इस भवन को हेरिटेज श्रेणी में रखा जाए तथा इस भवन के हेरिटेज स्वरूप को सुरक्षित रखने का दायित्व जिला प्रशासन, नरसिंहपुर एवं नगरपालिका, नरसिंहपुर को रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2020

क्र. 278-2020-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-1-10-2019-5-एक, दिनांक 14 फरवरी 2020 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 17 फरवरी 2020 को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय/नागरिक पंजीयन, मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2020

क्र. 1619-एफ-2-22-2009-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानसुार चयन समिति का गठन करता है:—

(क)	न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश.	—	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण	—	सदस्य

मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल म. प्र.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2019

जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 7344-वि.यो.-जबलपुर-नग्रानि-2019.—एतद्द्वारा सूचना दी ज़ाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में यथानिर्दिष्ट तिलवारा घाट से भिटौली को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग के एलाइनमेंट में उपांतरण का प्रारूप, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—http://www.mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/Amrut/ibp. pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:—

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जबलपुर जिला जबलपुर
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर म. प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

जबलपुर विकास योजना 2021 अनुसार दर्शित मार्ग एवं प्रस्तावित उपांतरित मार्ग

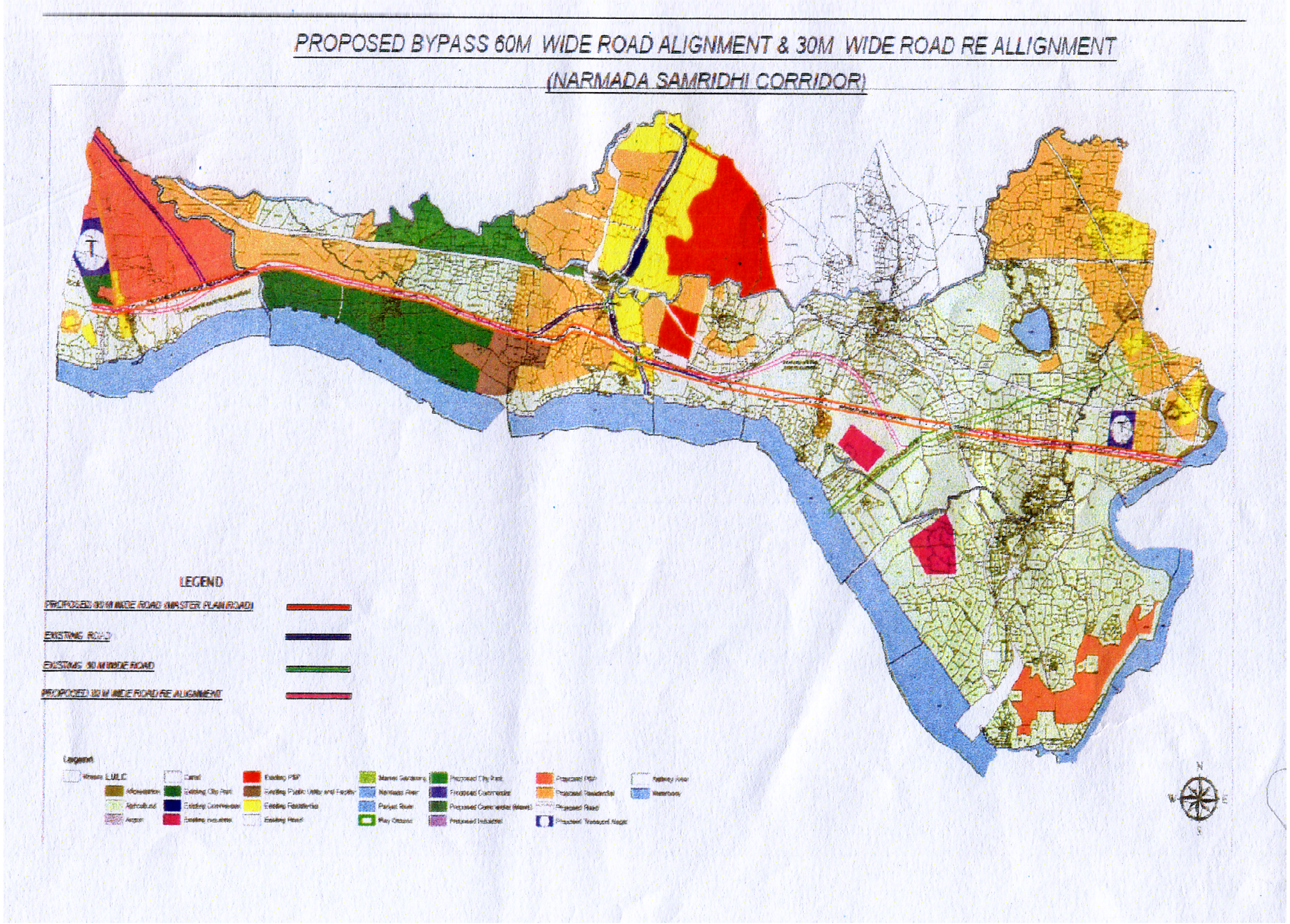

यदि कोई आपत्ति या सुझाव विकास योजना के मार्ग के एलाइनमेंट परिवर्तन के प्रारूप के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर में अथवा ई-मेल पर obj-sugg-Jbp@mp.gov.in पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.